

प्ररूप -8

पेटेंट अधिनियम 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम 2003

किसी पेटेंट में आविष्कारक के उस रूप में उल्लेख के संबंध में अनुरोध या दावा

(धारा 28(2), धारा 28(3) और धारा 28(7) तथा नियम 66 नियम 67 और नियम 68 देखिए)

1 यह आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम पता व राष्ट्रीयता लिखें ।	मैं /हम ¹ यह कथन / दावा करता हूँ/ करते हैं कि द्वारा किए गए पेटेंट आवेदन
2 आविष्कारक के रूप में उल्लिखित व्यक्ति का नाम लिखें	स तारीख दिया गया है मैं आविष्कारक (आविष्कारको) के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) मुझे / हमें उल्लिखित किया जाये । या घोषणा करता हूँ / घोषणा करते हैं कि द्वारा किए गए पेटेंट स तारीख . के आवेदन में ² को आविष्कारक के रूप में उल्लिखित नहीं करना चाहिए था और मैं / हम तत्प्रभावी एक प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करता हूँ / करते हैं ।
3 पूरा पता, जिसमें डाक सूचक संख्या, कोड और राज्य सहित टेलीफोन स और फ़ैक्स स लिखें ।	उन परिस्थितियों के जिनके अधीन यह आवेदन किया जाता है उल्लेख करते हुए एक विवरण, नियमों के अधीन तथा अपेक्षित उनकी प्रति / प्रतियों के साथ सलग्न है ।
4 आवेदक या उसका प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।	भारत में तामील के लिए मेरा / हमारा पता ³

5 प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं।	आज तारीख 20 (हस्ताक्षर) ⁴ () ⁵ सेवा में, पेटेंट नियंत्रक पेटेंट कार्यालय पता
--	---

फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए